न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

मानाराम पुत्र प्रेमाजी, जाति- मेघवाल, निवासी- जेतावाडा, तह. रेवदर, जिला- सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

1. रेवाराम पुत्र राणाराम, जाति- भील, निवासी- बांट, तह. रेवदर, जिला- सिरोही
2. नरेश कुमार पुत्र मंजीजी, जाति- मेघवाल, निवासी-मोहब्बतपुरा, तहसील-रेवदर
3. हेमाराम पुत्र दानाराम जी, जाति-मेघवाल, निवासी-मोहब्बतपुरा, तहसील-रेवदर
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेवदर

राजस्व अपील संख्या: 18/2019

"अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या- 4 की ओर से

-: निर्णय :- दिनांक 02 मार्च, 2021

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, रेवदर द्वारा प्रकरण संख्या 01/2017 अर्न्तगत धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में पारित निर्णय दिनांक 12.4.2017 से व्यथित होकर प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या-4 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 को सम्मन की तामिल होने के बाद भी उपस्थित नही हुये। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या-1 (रेवाराम) ने नियत सुनवाई तिथि 09.12.2020 को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया कि रेवाराम पुत्र राणाराम भील, निवासी- बांट बनाम नरेश पुत्र मंजी मेघवाल के प्रकरण संख्या 1/2017 का निर्णय 12.4.2017 को हो चुका है। तहसीलदार, रेवदर द्वारा ग्राम मोहब्बतपुरा के खसरा संख्या 390 रकबा 3.00 बीघा किस्म बंजर भूमि का वास्तविक खातेदार रेवा पुत्र राणा, जाति- भील, निवासी-बांट को ही बताया है, इसलिये अपील को खारिज किया जावे।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी व अन्य सहखातेदारान रमेश, बाबु, पिसरान प्रेमजी भांबी के खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि ग्राम जेतावाडा में [illegible] रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा है। उक्त भूमि अपीलार्थी के पुश्तैनी भ[illegible] पर अपीलार्थी अपने पिता के समय से लगातार काश्त करता आ रहा है। अपील[illegible] उसके भाईयों की खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:07:51 IST
Reason: SelfAttested

.....

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

की भूमि पर अपीलार्थी का ही कब्जा काश्त है। प्रत्यर्थी रेवाराम ने प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के विरुद्ध एक रिपोर्ट तहसीलदार, रेवदर के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें उसके खातेदारी की भूमि पर प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 द्वारा कब्जा करना बताया। उस रिपोर्ट पर धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर हल्का पटवारी से रिपोर्ट तलब की। हल्का पटवारी ने दिनांक 30.3.2017 को मौका जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें यह दर्शाया कि मौजा मोहब्बतपुरा, जेतावाडा और गुजरात की सीमा पर स्थित है, मौके पर सीमा चिन्ह स्थाई बिन्दु नही होने से यह ताहिद नही हो पा रहा है कि मौके पर किसका कब्जा है। उसके बाद दिनांक 12.4.2017 को तहसीलदार व अन्य द्वारा सीमाज्ञान किया गया। मौके पर खसरा संख्या 390 पडत पाई गई और मौके पर प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 का कब्जा पडौसी खातेदार द्वारा बताया गया। इस रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार, रेवदर ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है एवं मौके पर निर्णय की पालना में अपीलार्थी के खातेदारी की खसरा संख्या 17 की भूमि में से अपीलार्थी को कब्जा दिलाया जाना मौके पर प्रत्यर्थी संख्या-1 द्वारा विवाद करने पर पाया गया है। इस प्रकार से तहसीलदार रेवदर द्वारा मौके पर गलत सीमाज्ञान कर अपीलार्थी के खातेदारी की भूमि को खसरा संख्या 390 की भूमि होना बताकर निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी के खातेदारी की भूमि के पडौस में ग्राम मोहब्बतपुरा की सरहद है तथा ग्राम मोहब्बतपुरा की कृषि भूमि आई हुई है। अपीलार्थी अपने खातेदारी की पुश्तैनी कृषि भूमि पर अपने पिता के समय से लगातार काबिज होकर काश्त कर रहा है। अपीलार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि के चारों ओर लोर की गई है। अपीलार्थी के खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान नही किया गया तथा न ही खसरा संख्या 390 की भूमि के सीमाज्ञान के समय अपीलार्थी या उसके भाईयों को तलब किया गया। तहसीलदार रेवदर ने गलत रुप से सीमाज्ञान के आधार पर खसरा संख्या 17 की कृषि भूमि का कब्जा दिलाये जाने का आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को अपीलाधीन प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है तथा न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जावे। जबकि विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रत्यर्थी रेवाराम द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के विरुद्ध उसकी खातेदारी भूमि पर कब्जा करने से तहसीलदार, रेवदर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कब्जा दिलाये जाने का अनुरोध किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर मौके का सीमाज्ञान कर बाद जांच विधि सम्मत निर्णय पारित किया है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नही होने से अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस [illegible] न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो पा[illegible] कि रेवाराम पुत्र राणाराम, जाति- भील, निवासी- बांट ने तहसीलदार, रेवदर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर

....पेज तीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:07:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अनुरोध किया कि मेरी खातेदारी कृषि भूमि ग्राम बांट के खसरा संख्या 390 रकबा 3.00 बीघा पर नरेश पुत्र मंजीजी व हेमाराम पुत्र दानाराम, जाति- मेघवाल, निवासी- मोहब्बतपुरा द्वारा जबरन व अवैध रुप से कब्जा किया है व मुझे कब्जा देने से मना कर रहे है, इसलिये कब्जा दिलाया जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रेवदर में धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रकरण संख्या 01/2017 दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 को नोटिस जारी किये गये एवं हल्का पटवारी, बांट से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पटवारी बांट की मौका फर्द दिनांक 30.3.2017 में यह अंकित किया गया है कि "मौजा मोहब्बतपुरा के खसरा संख्या 390 रकबा 0.48 किस्म बंजर का मौका देखा गया। मौके अनुसार खसरा नं. 390 मौजा मोहब्बतपुरा, जेतावाडा और गुजरात की सीमा पर स्थित है। मौके पर सीमा चिन्ह स्थाई बिन्दु नही होने से यह ताहिद नही हो पा रहा है कि मौके पर किसका कब्जा है, इसके लिये टीम गठन कर पैमाईश बाद कब्जा ताहिद किया जायेगा।" अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पटवारी बांट, भू अभिलेख निरीक्षक, सोरडा व तहसीलदार, रेवदर की संयुक्त मौका फर्द दिनांक 12.4.2017 में यह अंकित किया गया है कि मौके पर जरिये पैमाईश करने पर खसरा नं. 390 पर नरेश पुत्र मंजी व हेमाराम पुत्र दानाराम, कौमा मेघवाल, निवासी- मोहब्बतपुरा का कब्जा पडौसी खातेदारान द्वारा होना बताया गया एवं वर्तमान में भूमि पडत है, मौके पर खातेदार का कब्जा नही है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन प्रकरण में अपीलार्थी को पक्षकार नही बनाया है व न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया है। जबकि अपीलार्थी के कथनानुसार अपीलाधीन निर्णय की पालना में प्रत्यर्थी रेवाराम को अपीलार्थी व अपीलार्थी के भाईयों की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि ग्राम जेतावाडा के खसरा संख्या 17 की भूमि में कब्जा दिलवाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के पैमाईश की कार्यवाही के दौरान अपीलार्थी मानाराम मौके पर उपस्थित नही था। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए बाद जांच पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, रेवदर द्वारा प्रकरण संख्या 01/2017 अर्न्तगत धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में पारित निर्णय दिनांक 12.4.2017 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रेवदर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए मौके की जांच करके पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय सुनाया गया।

2/3/2021

(गितेश श्री मालवीया)

अतिरिक्त जिला कलक्टर

सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:07:51 IST
Reason: SelfAttested